राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी. / कोरोना वायरस / 2020 / 486 दिनांकः 7/5/2020

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर–प्रथम व द्वितीय।

विषयः–भारत सरकार की आरटीपीसीआर एप द्वारा कोरोना सैम्पल लिये जाने बाबत्।
संदर्भः–भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित निर्देशो के क्रम में लेख है कि भारत सरकार के आरटीपीसीआर एप की वर्तमान स्थिति से ज्ञात हुआ कि आपके द्वारा मात्र 02 कोरोना सैम्पल ही आरटीपीसीआर एप द्वारा किये गये है। जबकि भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार सभी सैम्पल कलेक्शन आवश्यक रूप से उक्त एप के माध्यम से ही किये जाने है परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों को गंभीरता से न लिया जाकर एप का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

अतः आप को निर्देशित किया जाना है कि आपके अधीन कार्यरत कार्मिक जिनके द्वारा कोरोना सैम्पलिंग कार्य किया जा रहा है के मोबाईल में आरटीपीसीआर एप आवश्यक रूप से इनस्टॉल कराते हुये, उक्त एप के माध्यम से ही सैम्पल कार्य किया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही दिनांक 08.05.2020 से उक्त निर्देशो की अवेहलना पर भविष्य में पडने वाले विपरित प्रभावों के लिये आपकी स्वंय की व्यतिशः जिम्मेदारी होगी।

(नरेश कुमार ठकराल)
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)

क्रमांकः आईडीएसपी / कोरोना वायरस / 2020 / 486 दिनांकः 7/5/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जनस्वास्थ्य), मुख्यालय।
3. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
4. राज्य नोडल अधिकारी (आईडीएसपी), मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को मेल द्वारा भिजवाते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)

Scanned by CamScanner